सारांश हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर आदेश हुक्म में
05/4/18	आज पत्रावली पेश हुई। बहस उप आर्थ। वाद पत्रावली के पत्रावली प्रतिवादी सं० 9, 14, 15 की ओर से वकील प्रतिवादी ने उक्त प्रकरण पत्रावली के प्रतीक्षित फरमान मुकम्मल नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण के हिस्से आराजी का निर्धारण कराने के बाबत की प्रार्थना पत्र पेश की। नकल उपलब्ध कराई गई। वकील प्रार्थी ने प्रतिवादी/प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के बाबत प्रार्थीगण को कोई कार्यवाही नहीं चाही है अपितु कार्य हुए सहमति व्यक्त की है। वास्ते सुनवाई पत्रावली दिनांक 09/4/18 को पेश हो।	
09/4/18	आज पत्रावली पेश हुई। बहस उप० आर्थ। स्थगन आदेश से मुक्त होने बाबत की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बहस को मुनासिब। दरख्वीकार की जाती है। अतः प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज प्रारम्भिक निर्णित किया जाता है ऐसी स्थिति में अपीली/प्रतिवादीगण मोहन लाल, रामेश्वर, भुवान एवं सुदेश देवी के हिस्से की भूमि के बारे में स्थगन आदेश से मुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं मूल दावा के बाबत स्थगन आदेश मुसमिमा बदावत रहेगा तथा मूल दावा के अन्तिम निर्णय तक तामीलात दावा मुल्तवी किया जाता है। फैसला सुनाया गया। नकल से नकल। जाब्ता तामील सलाम मूल दावा रहे। सुनाया गया।	

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner